रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1969/भाद्र 28, 1891

No. 155] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1969/BHADRA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September 1969

No. RS.1/4/69-L.—The following order by the President, dated the 16th September, 1969, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11-00 A.M. on Monday, the 17th November, 1969, at New Delhi.

V. V. GIRI,

President"

B. N. BANERJEE, Secy.

NEW DELHI,
The 16th September, 1969.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1969

संख्या आर० एस० 1/4/69-एस.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 16 सितम्बर, 1969 आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 17 नवम्बर, 1969 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिये आमंत्रित करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

नई दिल्ली,

16 सितम्बर, 1969

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969